न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

पंचायत निगरानी संख्या 12/2024

ग्राम पंचायत पालरा (पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण) जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत पालरा, पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण, जिला अजमेर

.....निगरानीकार

बनाम

श्रीमति सुमन कंवर पत्नि श्री सुरेन्द्रसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम खाजपुरा, ग्राम पंचायत पालरा, पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण, जिला अजमेर

.....अप्रार्थी

अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996

उपस्थित :–

1– श्री राजीव सक्सेना, वकील निगरानीकार की ओर से।

2– श्री धारसिंह रावत, अप्रार्थिया की ओर से।

–: आदेश :–

दिनांक–21.01.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि सरपंच, ग्राम पंचायत पालरा, पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण, जिला अजमेर द्वारा ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर संकल्प संख्या 02 दिनांक 06.12.2021 की अनुपालना में प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत ग्राम खाजपुरा, ग्राम पंचायत पालरा, पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण, जिला अजमेर के आबादी आराजी खसरा संख्या 958 में से श्रीमति सुमन कंवर पत्नि श्री सुरेन्द्रसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम खाजपुरा, ग्राम पंचायत पालरा, पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण, जिला अजमेर के पक्ष में दिनांक 10.12.2021 को पुराना कब्जा मानते हुए आबादी भूमि का पट्टा संख्या 11 क्षेत्रफल 138.88 वर्ग गज का जारी कर दिया। निगरानीकार ने अप्रार्थिया के पक्ष में जारी किए गये आक्षेपीय पट्टे को विभिन्न कारणों से विधि विरूद्ध मानते हुए यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की है। निगरानी पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय का सम्बन्धित रेकार्ड मंगवाया गया व अप्रार्थिया के नाम नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थिया जरिये वकील उपस्थित हुई। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। वकील निगरानीकार ने निगरानी में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए कथन किया कि अप्रार्थिया द्वारा ग्राम पंचायत पालरा में पट्टा प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थिया के पुश्तैनी काबिज होने पर पंचायती राज अधिनियम, 1994 के प्रावधानों एवं विधि के प्रावधानों की पूर्ण पालना करते हुए नियमानुसार आक्षेपीय पट्टा जारी किया गया। उन्होने आगे कथन किया कि अप्रार्थिया को पट्टा जारी करने के लगभग दो वर्ष पश्चात ग्राम पंचायत के संज्ञान में आया कि

अपर कलक्टर
अजमेर

सीमांकन की पर्याप्त जानकारी नहीं होने के कारण पंचायत की आबादी भूमि से सटी पड़ौस में स्थित श्री सीताराम पुत्र श्री भंवरसिंह के पूर्वजों द्वारा पुश्तैनी काबिजशुदा भूमि का कुछ भाग आक्षेपीय पट्टे की सीमा में सम्मिलित हो गया है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थिया व पड़ौसी श्री सीताराम पुत्र श्री भंवरसिंह के पुश्तैनी काबिजशुदा भूमि में सीमाओं का गलत अंकन होने से दोनों पक्षकारों को विदित होने पर दोनों में आपसी समझाईश हुई जिसके अनुसार अप्रार्थिया के पक्ष में जारी आक्षेपित पट्टा अवैध व शून्य होने से निरस्त किये जाने बाबत किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं है क्योंकि वर्तमान में श्री सीताराम पुत्र श्री भंवरसिंह का परिवार अप्रार्थिया के तीन–चार मकान आगे निवास कर रहा है एवं जो अप्रार्थिया के सटा हुआ पुश्तैनी कब्जाशुदा भूखण्ड है, उस पर केवल बाड़ा है जो पड़ौसी के स्वामित्व में है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी आक्षेपीय पट्टा ग्राम पंचायत की आबादी भूमि से सटी पड़ौसी की पुश्तैनी भूमि का भाग पट्टे की सीमाओं में आने से नियमों के विपरीत होने के कारण जनहित में नियमानुसार निरस्त किया जाना अति–आवश्यक है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि विवादित पट्टा अवैध व शून्य होने के कारण निगरानी याचिका स्वीकार कर ग्राम पंचायत पालरा द्वारा अप्रार्थिया के पक्ष में जारी आक्षेपीय पट्टा संख्या 11 दिनांक 10.12.2021 निरस्त किया जावे।

वकील निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील अप्रार्थिया का कथन है कि निगरानीकार द्वारा निगरानी याचिका में समस्त गलत कथन अंकित किये गये है। निगरानीकार ने प्रस्तुत निगरानी में ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थिया के पुश्तैनी काबिज होने का तथ्य अंकित किया जाकर पुश्तैनी कब्जे के आधार पर पंचायत राज अधिनियम 1994 के प्रावधानों एवं विधि के प्रावधानों की पूर्ण पालना करते हुए आक्षेपित पट्टा जारी करने का तथ्य स्वीकार किया है। उन्होने कथन किया कि निगरानीकार द्वारा तत्कालीन सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी को पक्षकार नहीं बनाया गया है जो कि आवश्यक पक्षकार हैं जिन्हे पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। उक्त आवश्यक पक्षकारों के अभाव में निगरानी याचिका चलने योग्य नहीं है। वकील अप्रार्थिया का आगे कथन है कि ग्राम पंचायत पालरा द्वारा नियमानुसार एवं विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत उनके पक्ष में आक्षेपित पट्टा जारी किया गया है। यदि किसी प्रकार का किसी अन्य व्यक्ति का कोई पट्टा निगरानीकार द्वारा जारी किया गया है तो वह उसे स्वयं के स्तर पर निरस्त करवाने हेतु स्वतंत्र है, जिसमें अप्रार्थिया को किसी प्रकार की आपत्ति व ऐतराज नहीं है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका सारहीन होने से निरस्त की जावे।

हमने वकील निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि सीमांकन की पर्याप्त जानकारी के अभाव में ग्राम पंचायत पालरा की आबादी भूमि से सटी पड़ौस में स्थित श्री सीताराम पुत्र श्री भंवरसिंह के पूर्वजों द्वारा पुश्तैनी काबिजशुदा भूमि का कुछ भाग आक्षेपीय पट्टे की सीमा में सम्मिलित हो गया है। ग्राम पंचायत कायमपुरा की आबादी भूमि से सटी हुई अन्य व्यक्ति की पुश्तैनी भूमि का कुछ भाग आक्षेपीय पट्टे की सीमा में आने के कारण जारी पट्टा नियमों के विपरीत है एवं वर्णित प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल होकर विधि विरूद्ध है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार कर अप्रार्थिया के पक्ष में जारी आबादी भूमि का विक्रय विलेख पट्टा संख्या 11 दिनांक 10.12.2021 निरस्त किया जाता है।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

पंचायत निगरानी केस 12/2024

आदेश आज दिनांक 21.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(ज्योति ककवानी)
अपर कलक्टर
अजमेर